

तारीख रजू 11.9.2020

उनवान

उमाशंकर पुत्र सुरेश वगै० जाति जाटव निवासी विजयपुरा तहसील
सुरौठ जिला करौली राजस्थान
वादीगण (04)

बनाम

सुरेश पुत्र किशोरी वगै० जाति जाटव निवासी विजयपुरा तहसील सुरौठ
जिला करौली राजस्थान।
प्रतिवादीगण (23)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह दावा वादी की ओर से श्री प्यारे लाल पौहिया एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.10.2020 को पेश हों।



(सुरेश कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी.

हिण्डौन

9/10/2020 पत्रावली पेश की। प्रतिवादीगण 23 की ओर से श्री सुरेश कुमार यादव वकील द्वारा खर्च-नामा पेश किया। पत्रावली पेश की जाया। पत्रावली पेश दिनांक 20-10-2020 को पेश की।

0 BE Enc
जतिना-23

10/10/2020 पत्रावली पेश की। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील वकील ने उक्त उपकरण उन झाने नहीं चलाना चाहते हैं। उपकरण नीचे के स्थायी करना चाहते हैं।

NOT PLEAD
Pyan
Lpar 10/10

अतः उपकरण सं० 1322/2020 उमाशंकर वगै० सुरेश नेट के से स्थायी किया जाता है। पत्रावली केवल सुरेश कुमार यादव वकील से पेश की।

उमाशंकर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी 18/10/2020
180 HND